

देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 16,2022

विषय: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते हुए कूटरचित/जाली आधार कार्ड का प्रयोग कर किये जाने वाले अवैधानिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कूटरचित/फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके विभिन्न आपराधिक घटनायें कारित करने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, होटलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रवेश के समय अपनी सही पहचान छिपाने आदि के विभिन्न दृष्टांत प्रकाश में आते रहते हैं। आधार कार्ड/आधार नम्बर के दुरुपयोग को रोकने तथा इस प्रकार का कृत्य करने वालों को चिन्हित करने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा "आधार क्यूआर कोड स्कैनर" नामक एक मोबाइल एप विकसित किया गया है। आधार कार्ड प्रमाणीकरण हेतु उक्त एप के द्वारा आधार कार्ड बार को स्कैन करके एयरपोर्ट, रेलवे यात्रा, होटल, अस्पताल एवं अन्य हाई सिक््योरिटी स्थलों पर प्रवेश के समय व्यक्ति की पहचान सत्यापित करते हुए अवांछित गतिविधि को रोका जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था व चेकिंग में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त एप के प्रयोग के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाते हुए उन्हें व्यवसायिक रूप से दक्ष बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है :-

- आधार कार्ड के प्रयोग से सम्बन्धित किसी भी धोखाधड़ी तथा असत्य पहचान के विरुद्ध भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक कस्टम एप्लीकेशन क्यूआर कोड स्कैनर (QR Code Scanner) विकसित किया गया है। उक्त एप (ANDROID) तथा APPLE (iOS)/PLATFORMS दोनों पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्न है :-

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=in.net.uidai.grcodescanner>
(for Android Users)
- <https://apps.apple.com/in/app/aadhaar-qr-scanner/id1436572006>
(for iOS Users)

(Handwritten signature)

- आधार क्यूआर कोड स्कैनर को मोबाइल फोन में डाउन लोड करके किसी भी आधार कार्ड के बार कोड को स्कैन करके आधार कार्ड धारक के नाम/पता व अन्य विवरण को सत्यापित किया जा सकता है।
- आधार क्यूआर कोड को उक्त एप पर स्कैन करने के पश्चात सम्बन्धित आधार बार कोड धारक का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, फोटो आदि विवरण प्राप्त किया जा सकता है।
- जनपद के समस्त थानों के कर्मचारियों को 'आधार क्यूआर कोड स्कैनर' के सम्बन्ध में यथोचित ब्रीफिंग करते हुए उनके मोबाइल फोन में यह एप डाउनलोड कराते हुए उन्हें इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए संवेदनशील किया जाये। कानून-व्यवस्था प्रवर्तन सम्बन्धी विविध कार्यवाही यथा चेंकिंग, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर प्रवेश नियन्त्रण (Access Control), विवेचनात्मक कार्यवाही, अपराधियों से पूछताछ तथा सदिग्धों के सत्यापन में आधार क्यूआर कोड स्कैनर का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए आधार कार्ड की जांच अवश्य की जाये।
- इस सम्बन्ध में जनपदों की पुलिस लाइन में जागरूकता व प्रशिक्षण हेतु विशेष सत्र भी आयोजित कराया जायें। उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य शाखाओं में भी समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- जनपद के समस्त होटल, सराय, धर्मशाला, लॉज, मुसाफिर खाना, क्लब, स्टेडियम, अस्पताल, स्विमिंग पूल तथा ट्रेवल एजेन्सी के संचालकों को भी आधार क्यूआर कोड स्कैनर का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करते हेतु निर्देशित किया जाये।
- जनपद के समस्त बैंकिंग/नान बैंकिंग (NBFC) एवं इन्श्योरेन्स प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों की गोष्ठी करके वहाँ आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए धोखाधड़ी एवं आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाया जाये।
- समस्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान (Vital Installation), सरकारी भवन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर सुरक्षा ड्यूटी तथा प्रवेश नियन्त्रण (Access Control) में आधार क्यूआर कोड स्कैनर की उपयोगिता के सम्बन्ध में सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशील करते हुए अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

Sumit

2- अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित "आधार क्यूआर कोड स्कैनर" की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपने जनपद/शाखा के समस्त पुलिस कर्मियों को जागरूक व संवेदनशील करते हुए इसका अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये, जिससे कूटरचित/फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर अवांछनीय/आपराधिक गतिविधि, आर्थिक अपराध तथा धोखाधड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध समुचित विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके तथा इस प्रकार के घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

16/10/22

समस्त पुलिस आयुक्त, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, (नाम से)
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा/यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0।
- 5-अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस/एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉब/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/सीबीसीआईडी, उ0प्र0।
- 7-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 8-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0।
- 9-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।